भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 480

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

नदियों की सफाई

480. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:
प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की प्रमुख नदियों और बांधों की सफाई के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार को नदियों और बांधों की सफाई में किन-किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में प्रमुख नदियों और बांधों की सफाई में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में विशेष रूप से नदियों और बांधों की सफाई के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) इस आवंटित धनराशि के उपयोग की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है और शेष धनराशि के उपयोग में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): देश की नदियों में प्रदूषण मुख्यत: शहरों/कस्बों के अशोधित और आंशिक रूप से शोधित सीवेज तथा इन नदियों के कैचमेंट क्षेत्रों में औद्योगिक बहिस्रावों, सीवेज/बहिस्राव शोधन संयंत्रों के खराब संचालन और रखरखाव, कृषि रन-ऑफ, खुले में शौच, ठोस अपशिष्टों के डम्पिंग स्थलों से होने वाला रन-ऑफ और उनकी घुलनशीलता में कमी आदि जैसे गैर-बिन्दु स्रोतों के कारण होता है।

बांधों की सफाई से जुड़ी चुनौतियों में जमा हुई तलछट की मात्रा और इसका भार, गाद निकालने के दौरान पारिस्थितिकी प्रणाली में पड़ने वाले व्यवधान, सुदूर स्थित बांध, महंगी और डिमांडिंग प्रौद्योगिकी, नियामक और कानूनी मामले आदि शामिल रहते हैं।

इस समय, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण II और III योजना (वर्ष 2021-31) जलाशयों से उनकी जरूरत के हिसाब से गाद निकाले जाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों, औद्योगिक इकाइयों का यह प्रमुख दायित्व होता है कि वे सीवेज और औद्योगिक बहिस्राव को नदियों व अन्य जल निकायों में, भूमि या तटीय जल में डिस्चार्ज करने से पहले इसका अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें जिससे कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जा सके।

यह मंत्रालय, गंगा और इसकी सहायक नदियों को नमामि गंगे नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम और अन्य नदियों के लिए केंद्र प्रायोजित, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) नामक योजना के माध्यम से देश की नदियों के चिह्नित खंड़ों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करता आ रहा है।

एनआरसीपी ने, अब तक देश के 17 राज्यों के 98 शहरों में 53 नदियों को 8649.67 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से कवर किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ 2910.50 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता का सृजन किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 39080.70 करोड़ रुपए की लागत से 6217.15 एमएलडी सीवेज शोधन की 200 परियोजनाओं और 5282.39 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क सहित कुल 467 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से, अब तक 3241.55 एमएलडी की सीवरेज शोधन क्षमता सृजित की जा चुकी है।

इसके अलावा, भारत सरकार वित्त पोषित वाली सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे कार्यक्रमों से भी नदियों की सफाई में सहयोग मिलता है।

(ग) से (ङ): एनआरसीपी के अंतर्गत, महाराष्ट्र के पुणे में मुला-मुथा और नागपुर में नाग नदियों में प्रदूषण रोकथाम से संबंधित परियोजनाओं को क्रमश: 990.26 करोड़ रुपए और 1926.99 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 239.98 करोड़ रुपए (केन्द्र सरकार का हिस्सा 205.99 करोड़ रुपए और राज्य/शहरी स्थानीय निकाय का हिस्सा 33.99 करोड़ रुपए) आबंटित किए गए थे और राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इसका पूर्णत उपयोग किया गया था। परियोजनाओं की केन्द्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा/निगरानी की जा रही है।

*****